निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या : 130 / दावा / 2020 तारीख दायरा :– 22.10.2020

ऑनलाइन प्रकरण संख्याः 00179 / 2020

1. देवीलाल पिता मांग्या जाति तंवर निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

1. मोर सिंह पिता घीसा जाति तंवर निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
2. कालीबाई पत्नी घीसा जाति तंवर निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
3. ललताबाई पत्नी मोर सिंह जाति तंवर निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना

–प्रतिवादी

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–श्री कैलाशचन्द वैष्णव अधिवक्तावादी

निर्णय

दिनांक 24.06.2022

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द वैष्णव वाद धारा 183 रा.टी. एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचपीपली पटवार हल्का कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 10 पुरानी 8 कि खसरा नम्बरान क्रम ाः 66 की 1 बीघा, 67 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 68 की 6 बीघा 11 बिस्वा, 107 की 4 बिस्वा, 113 की 3 बिस्वा, 115 की 1 बीघा 9 बिस्वा, 116 की 6 बिस्वा, 119 की 2 बीघा 6 बिस्वा, 283 की 14 बिस्वा, 284 की 8 बिस्वा, 285 की 1 बिस्वा कुल 11 किता की 14 बीघा 9 बिस्वा आराजी मुझ वादी के खाते की दर्ज है वर्णित आराजी में से खसरा न0 113 की 3 बिस्वा आराजी (गै.मु.चाह) दर्ज है। जिस पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने जबरन बल पूर्वक नाजायज रूप से कब्जा 4–8 माह पूर्व कर लिया गया ओर उस पर लगे करीबन 4–5 पेडो को काट कर नश्ट कर दिया जिसका कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को कोई हक व अधिकार नही है जो बेहैसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। वादी ने वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 113 की 3 बिस्वा के आराजी (गै.मु.चाह) पर बने हुए कुए को भी प्रतिवादीगण द्वारा पुर दिया गया है जिससे कि मुझ वादी को अपार क्षति हुई है। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है ओर ना ही प्रतिवादीगण के खाते में भी नाम दर्ज नही है फिर भी उक्त आराजी पर जबरन कब्जा किए हुए है जिन्हें बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिकी किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा

कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम पंचपीपली पटवार हल्का कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 10 पुरानी 8 कि खसरा नम्बरान क्रम ाः 66 की 1 बीघा, 67 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 68 की 6 बीघा 11 बिस्वा, 107 की 4 बिस्वा, 113 की 3 बिस्वा, 115 की 1 बीघा 9 बिस्वा, 116 की 6 बिस्वा, 119 की 2 बीघा 6 बिस्वा, 283 की 14 बिस्वा, 284 की 8 बिस्वा, 285 की 1 बिस्वा कुल 11 किता की 14 बीघा 9 बिस्वा आराजी मुझ वादी के खाते की दर्ज है वर्णित आराजी में से खसरा न0 113 की 3 बिस्वा आराजी (गै.मु.चाह) दर्ज है। जिस पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने जबरन बल पूर्वक नाजायज रूप से कब्जा 4–8 माह पूर्व कर लिया गया अतः प्रतिवादीगण 1 ता 3 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिसपर प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम पंचपीपली संवत 2071–74 की खाता संख्या नया 10 पुरानी 8 प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचपीपली पटवार हल्का कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 10 पुरानी 8 कि खसरा नम्बरान क्रम ाः 66 की 1 बीघा, 67 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 68 की 6 बीघा 11 बिस्वा, 107 की 4 बिस्वा, 113 की 3 बिस्वा, 115 की 1 बीघा 9 बिस्वा, 116 की 6 बिस्वा, 119 की 2 बीघा 6 बिस्वा, 283 की 14 बिस्वा, 284 की 8 बिस्वा, 285 की 1 बिस्वा कुल 11 किता की 14 बीघा 9 बिस्वा आराजी में से खसरा न0 113 की 3 बिस्वा आराजी (गै.मु.चाह) पर से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादी को नापकर संभलाया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास में सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक [illegible])
उपखण्ड अधिकारी, जिला [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

डिक्री मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या : 130 / दावा / 2020

तारीख दायरा :– 22.10.2020

ऑनलाइन प्रकरण संख्याः 00179 / 2020

1– देवीलाल पिता मांग्या जाति तंवर निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

1. मोर सिंह पिता घीसा जाति तंवर निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
2. कालीबाई पत्नी घीसा जाति तंवर निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना
3. ललताबाई पत्नी मोर सिंह जाति तंवर निवासी पंचपीपली तहसील मनोहरथाना

–प्रतिवादी

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण** (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री कैलाशचन्द वैष्णव मिन जानिब मुद्दालय -------- ने पेश होकर आदेश दिया जाता है किः–

ग्राम पंचपीपली पटवार हल्का कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 10 पुरानी 8 कि खसरा नम्बरान क्रम I: 66 की 1 बीघा, 67 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 68 की 6 बीघा 11 बिस्वा, 107 की 4 बिस्वा, 113 की 3 बिस्वा, 115 की 1 बीघा 9 बिस्वा, 116 की 6 बिस्वा, 119 की 2 बीघा 6 बिस्वा, 283 की 14 बिस्वा, 284 की 8 बिस्वा, 285 की 1 बिस्वा कुल 11 किता की 14 बीघा 9 बिस्वा आराजी में से खसरा न0 113 की 3 बिस्वा आराजी (गै.मु.चाह) पर से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादी को नापकर संभलाया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड